कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या– पेट्रो–1 / सी0एफ0ओ0 / एटा / 16 दिनांक 19-02-2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,

एटा।

विषयः **ग्राम सोन्सा तहसील एटा जनपद एटा के गाटा संख्या 680स एटा से अलीगंज रोड़ पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 को नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्वन्ध में।**

सन्दर्भः **आपका पत्रांक–658 / न्याय सहायक** दिनांकः **06.02.2016**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से ग्राम सोन्सा तहसील एटा जनपद एटा के गाटा संख्या 680स एटा से अलीगंज रोड़ पर नये रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल का प्रस्तुत किये गये मानचित्रों के साथ निरीक्षण / परीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा श्री निरंजन प्रसाद द्वारा कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक 18.02.2016 के अनुसार प्रश्नगत स्थल एटा से अलीगंज रोड पर माइलेज स्टोन संख्या 23.978 मीटर पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सामने सड़क की चौड़ाई 36 मीटर जिसमें पक्की(डावरीकरण) सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन सुगमता से आ जा सकते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के सामने एवमं स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन / लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजर रही है। प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन संस्तुति प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा द्वारा की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 को प्रश्नगत स्थल गाटा संख्या–680स पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आख्या निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स –2002 तथा ओ0आई0एस0डी0 में उल्लेखित संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि ने उल्लेखित विधि के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की कोई हाइटेन्शन / लोटेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

C.F.O.
ETAH

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग)
आगरा मंडल कार्यालय
65/2, संजय प्लेस, आगरा–282002 (उ.प्र.)

3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शायें गये पेट्रोलियम पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ जो चिनगारी/अग्नि उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके लिए समुचित सुरक्षा के उपाय किये जायेगें।

5. प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक एवं आपातकालीन टेलीफोन नं0 की सूची को दर्शाना होगा।

6. प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ0आई0एस0डी0 स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

7– प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप निमार्णोपरान्त स्थानीय अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर इस कार्यालय से स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा , अन्यथा निर्गत किया गया अस्थाई प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
(वी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
एटा।

प्रतिलिपिः– प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग)
आगरा मंडल कार्यालय
65/2, संजय प्लेस, आगरा–282002 (उ.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office & Laboratory
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
UPPCB

जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी
रामघाट रोड, अलीगढ़–202 001
फोन एवं फैक्स : 0571–2743521
J-1, Gyan Sarovar Colony
Ramghat Road, Aligarh-202 001
Phone & Fax : 0571-2743521
email : roaligarh@uppcb.com

पत्रॉक 342/NOC – 2388/16 दिनॉंक 23.2.2016

सेवा में,

मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड नवीन रिटेल आउटलेट
द्वारा श्रीमती शशिवाला तोमर पत्नी स्व0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह
निवासी–मौहल्ला–राधाकृष्ण, अलीगंज
जनपद–एटा।

विषयः– पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2016 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर विचार किया गया। पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोंण से निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के साथ अनापत्ति स्वीकृत की जाती है–

(क)	स्थल	गाटा सं0–680 स ग्राम–सोन्सा, तहसील व जनपद–एटा।
(ख)	उत्पादन	शून्य
(ग)	कच्चा माल	भण्डारण एक समय में डीजल (40 कि.ली.) पैट्रोल (20 कि.ली.) ल्यूब्रीकेन्ट 1.0 कि.ली.
(घ)	घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा	घरेलू उत्प्रवाह – 1.0 कि.ली./दिन एवं औद्योगिक उत्प्रवाह – शून्य
(ड़)	प्रयुक्त ईधन एवं उसकी मात्रा	15 के.वी.ए क्षमता के जनरेटर सेट हेतु ईधन के रूप में डीजल का प्रयोग आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1. यह घरेलू बहिश्राव सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर सैप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये।
2. रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं हरित पटि्टका विकसित की जाये।
3. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नही किया जाये।

(कृ.पृ.उ.)

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग)
आगरा मंडल कार्यालय
65/2, संजय प्लेस, आगरा–282002 (उ.प्र.)

4. रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5. रिटेल आउटलेट द्वारा पेट्रोल/डीजल के आकस्मिक रिसाव अथवा किसी प्रकार की अवांछित घटना जैसे आग इत्यादि हेतु अग्निशमन विभाग आदि सम्बन्धित विभागों के निर्देशों के अनुरूप उचित व्यवस्था की जाये तथा ऑन साइड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर एक माह में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

6. रिटेल आउटलेट के विरूद्ध यदि प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है तो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

7. इकाई द्वारा प्रस्तावित स्थल के भू–स्वामित्व के अभिलेख एवं भू–प्रयोग प्रमाण पत्र विलम्बतम एक माह में प्रस्तुत किया जाये।

8. रिटेल आउटलेट द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत अपने शपथ पत्र दिनांक 22.02.2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. रिटेल आउटलेट में विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

10. उपरोक्त मिनी डिपो की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभागों यथा जिला प्रशासन, विस्फोटक, कारखाना विभाग इत्यादि से वांछित अनुमति/लायसेंस प्राप्त कर लिया जाये।

11. रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 15 के.वी.ए क्षमता के जनरेटर सेट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उचित एकॉस्टिक चैम्बर की स्थापना की जाये तथा जनरेटर सेट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर के छत के तल से 1 मीटर ऊंची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हों।

12. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जाये तथा भण्डारण प्रारम्भ करने से दो माह पूर्व सहमति (जल)/सहमति (वायु) हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये। बिना सहमति प्राप्त किये रिटेल आउटलेट का संचालन किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन है तथा अवैधानिक है।

12. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये, शर्तो का अनुपालन न होने की दशा मे उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को बिना किसी पूर्व नोटिस के अस्वीकृत किया जा सकता है तथा इसके फलस्वरूप रिटेल आउटलेट के विरूद्ध कृत कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं रिटेल आउटलेट का होगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के अनुपालन की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनॉक 31.12.2016 तक वैध है। शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(आर.एस. सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, एटा को उनके पत्रांक–658/न्याय सहायक, दिनांक 06.02.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

NOC\NOC Patro Pump New

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(विपणन प्रभाग)
आगरा मंडल कार्यालय
65/2, संजय प्लेस, आगरा–282002 (उ.प्र.)